अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 9.–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में टंकक (उर्दू) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, टंकक (उर्दू), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** – उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं, आदि**– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** –जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंद्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंद्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
टंकक (उर्दू)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड पी बी–1: 5200–20200 रु0+ ग्रेड वेतन 1900 रु0	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यार्थियों की समूह 'ग' पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** 1 : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण** 2:– रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**आवश्यक** (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिंदी और उर्दू विषय के साथ दसवाँ स्तर या समतुल्य पास (ii) उर्दू में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति **वांछनीय** उर्दू में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति से कम से कम 3 वर्षो का टंकण अनुभव	लागू नहीं होता।	2 वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा	**प्रतिनियुक्ति/आमेलनः** वेतन बैंडः पी बी 1 + ग्रेड वेतन 1800/– रु. में के ऐसे केंद्रीय सरकार के समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्षो की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हताएं रखते होंः– (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिंदी और उर्दू विषय के साथ 10वां स्तर या समतुल्य पास (ii) उर्दू में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा

	आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रतिनियुक्ति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— (1) उप सचिव (प्रशासन) — अध्यक्ष (2) अवर सचिव (प्रशासन) — सदस्य (3) उप सचिव या अवर सचिव, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करता हो — सदस्य	पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक अवसर पर कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. ए—12017/1/2015—स्था.]

डी.एस. बिष्ट, संयुक्त सचिव